




09/24 पत्रावली पेश। वास्ते बहुस पत्रावली दिनांक
10/10/2024 को पेश हो 


महोदय,

10/10/24 पत्रावली पेश। जवाब सरकार आदेशिका पर
अंतिम किया गया। वास्ते बहुस अवरर
चौड़े जसे से पत्रावली दिनांक:- 25/11/24 दिनांक
को पेश हो 

महोदय जंगल
ले रातान
सकता है

पत्रावली 11/11/24

पत्रावली पेश। पूर्व आदेशानुसार

कार्यवाही। पालना हेतु पत्रावली

दिनांक:- 26-12-24 को पेश हो 

25/11/24


पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी


अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार

दिनांक..... 23-1-25

को पत्रावली पेश हो 

26/12/24

23/25 पत्रावली पेश। वास्ते बहुस पत्रावली दिनांक
27/03/2025 को पेश हो 

27/25 पत्रावली पेश। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया
गया। छापी की और से चाहे गये शस्ते
में ख०स० 782 में मौके पर बरसारी खाल
व ख०स० 858 महुकमा जगलार की शक्ति में 

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्याया

पार्थी की पूर्व में भी इस बाबत निर्देश
दिने गये थे की ऐसी स्थिति में रास्ता घोषित
नही किया जा सकता है। यदि अन्य कोई
रास्ता दिया जा सकता है तो इस बाबत
पा.पत्र पेश करे। परन्तु ऐसा कोई पा.पत्र
पेश नही किया गया। पुकरण में चाहे गये रास्ते
में परिवर्धित भूमिओं माने से रास्ते बाबत घोषणा
नही की जा सकती है।

अतः पुकरण में कार्यवाही इसी
स्तर पर डीप की जाकर पा.पत्र प्राचीन
स्वारीज किया जाता है। प्राचीन यदि अन्य
किसी ख.न. से रास्ता चाहे तो नवीन पुकरण
पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फ़ैसल
शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कस
होकर दारखिल दफतर हो।